मिसिल संख्या0 स्व- ५७/९/२०१५- स्वाधार- पार्ट- ३

भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001

दिनांक २१.०७.२०१७

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

1000 निवासियों की क्षमता के स्वाधार गृह, सनराख बांगड़, वृंदावन, उत्तर प्रदेश के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए एजेंसियों के चयन के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को आमंत्रित करने की सूचना।

1. अस्वीकरण

इन संदर्भ शर्तों (टीओआर) में निहित सभी जानकारी बेहतर अभिरुचि और सद्भाव में प्रदान/स्पष्ट की/कर दी गई है। यद्यपि इस संदर्भ शर्तों (टीओआर) के दस्तावेज़ की तैयारी में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी, आवेदक को स्वयं संतुष्ट होना चाहिए कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। यह जानकारी सर्वग्राही किये जाने के उद्देश्य से नहीं है। यह किसी पक्षकार से न तो कोई समझौता है और न ही यह किसी भी प्रकार का समझौता करने के लिए कोई प्रस्ताव या आमंत्रण है।

इच्छुक आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि स्वाधार गृह योजना के दिशानिर्देशों को पढें और समझें (मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध) और जहां भी आवश्यक हो वहां अपनी स्वयं जांच पड़ताल और पूर्वानुमान करें।

न तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में सूचना की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कोई प्रतिरूप या वारंटी देते हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के लिए भागीदारी उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और प्रत्येक पार्टी, जो इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को पढ़ता या उपयोग करता है, की विशेष जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। कुछ भावी आवेदकों को अन्य की तुलना में परियोजना की बेहतर जानकारी हो सकती है । प्रत्येक भावी आवेदक को स्वयं जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सूचना/ सलाह प्राप्त करनी चाहिए।

न तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) और न ही उनके कर्मचारियों या सलाहकारों की किसी संभावित आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति संविदा कानून, टोट, रिट्यूजेशन या अनुचित संवर्धन के सिद्धांत के तहत या अन्यथा किसी भी हानि, व्यय या क्षति के लिए, जो कि उत्पन्न हो सकती है या हो सकती है या इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति में निहित किसी भी चीज़ के सिलसिले में पीड़ित, इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के भाग, प्रोजेक्ट का पुरस्कार, परियोजना की जानकारी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या उनके कर्मचारियों की ओर से या उनके द्वारा दिए गए किसी भी अन्य जानकारी, किसी भी परामर्शदाता या अन्यथा उत्पन्न होने वाली परियोजना के लिए चयन प्रक्रिया से किसी भी तरह से ऐसी कोई भी देनदारी/ जवाबदेही होगी।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) किसी भी स्तर पर कोई भी कारण बताए बिना इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति के जवाब में प्रस्तुत किसी भी या सभी अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) को अस्वीकार/नामंजूर करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति को पाने वाले सभी पक्षकारों को इस तरह के परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जाएगा।

2 पृष्ठभूमि

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी), भारत सरकार महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास के प्रति जिम्मेदार है। महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में, मंत्रालय योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करता है तथा महिला और बाल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे दोनों सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों का समन्वय करता है और उनके बारे में कानून और मार्गदर्शिका बनाता/संशोधन करता है। इसके अलावा, अपनी नोडल भूमिका निभाने के रूप में मंत्रालय महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ नवीन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन कार्यक्रमों में कल्याण और समर्थन सेवाएं, रोजगार और आय सृजन करने, जागरूकता पैदा करने और लिंग संवेदीकरण के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि के क्षेत्र में अन्य सामान्य विकास कार्यक्रमों के लिए एक पूरक और उपयोगी भूमिका निभाते हैं। इन सभी प्रयासों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाते हैं कि महिलाएं आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह से सशक्त हों और इस प्रकार, राष्ट्रीय विकास में पुरुषों के समान साझेदार बनें ।

अपनी जिम्मेदारियों के हिस्से के रूप में, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) स्वाधार गृह योजना को लागू कर रहा है जो मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं की प्राथमिक जरूरतों को पूरा करता है। ये स्वाधार गृह मुश्किल परिस्थितियों में पीड़ित महिला के लिए सहायक संस्थागत रूपरेखा प्रदान करते हैं ताकि वे अपना जीवन गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ जी सकें। ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का भी आश्वासन दिया जाता है ताकि किसी भी परिस्थिति में उन्हें अकेला नहीं छोडा जाना चाहिए या अलग नहीं रहने दिया जाना चाहिए जिससे वे शोषण से पीडित और निराश न हो सकें ।

वृंदावन, उत्तर प्रदेश में बढ़ती विधवा/निराश्रित महिलाओं की आबादी के चलते, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 1000 निवासियों की क्षमता वाले सनराख बांगड़, वृंदावन में ऐसी महिलाओं के लिए आश्रय गृह का निर्माण कर रहा है।यह निर्माण जनवरी, 2018 में पूरा होने की संभावना है।

3. परियोजना

प्रोजेक्ट पहले दो साल की अवधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर समय-समय पर विस्तारित सनराख बांगड़, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में स्वाधार गृह के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव को दर्शाता है।

4. कार्य के विषय क्षेत्र

इस परियोजना में प्रमुखतः निम्नलिखित गतिविधियां शामिल हैं, जिसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा:

क) स्वाधार गृह स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार संविदा अवधि के चलते रहने के दौरान स्वाधार गृह का संचालन, प्रबंधन और रखरखाव महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। स्वाधार गृह चलाने के लिए चयनित कार्यान्वयन एजेंसी को महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम डब्ल्यूसीडी) 100% सहायता अनुदान प्रदान करेगा ।

ख) विधवाओं/असहाय महिलाओं के आवासीय देखभाल का प्रावधान जिसमें स्वाधार गृह योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निवासियों को भोजन, आवास, चिकित्सा और मनोरंजन सेवाएं, जेब खर्च आदि के साथ-साथ अन्य प्रावधान शामिल हैं।

ग) स्वाधार गृह के निवासियों और टेलीफोन के माध्यम से अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

घ) श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत रोजगार और प्रशिक्षण के महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय प्रशिक्षण प्रदान करना।

ड) एचआईवी/एड्स से संक्रमित/प्रभावित निवासियों की आवश्यकताओं के लिए एनएसीओ, राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी और जिला अस्पतालों के साथ समन्वय।

च) जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (डीएलएसए) के जरिए निवासियों के लिए कानूनी सहायता आवश्यकताओं की व्यवस्था। यदि ऐसी सहायता डीएलएसए से उपलब्ध नहीं है तो वैकल्पिक उपयुक्त कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

छ) निर्धारित योग्यता और अनुभव के साथ पर्याप्त कर्मचारी तैनाती । अपेक्षित कर्मचारियों को चिकित्सकीय रूप से फिट और अच्छी तरह से अनुशासित होना चाहिए। कार्यान्वयन एजेंसी उनके द्वारा तैनात किये कर्मियों के संचालन के लिए जिम्मेदार होगी। स्वाधार गृह के लिए अपेक्षित मानव शक्ति की आवश्यकता निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1	निवासी अधीक्षक/सहायक अधीक्षक	8
2	काउंसलर	8
3	कार्यालय सहायक-सह-डीईओ	4
4	मेडिकल डॉक्टर	4
5	गार्ड/चौकीदार/चपरासी	16
	कुल	40

5. अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए पात्रता मानदंड

निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने वाले आवेदक आवेदन कर सकते हैं: -

क) संगठन, मौजूदा योजना/कानून के तहत राज्य/यूटी प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए या उसे संबंधित क्षेत्र में कम से कम 3 साल के लिए काम करने का अनुभव प्राप्त होना चाहिए और इसके कार्य निष्पादन राज्य सरकार/संघीय क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा संतोषजनक पाया जाना चाहिए।

ख) महिलाओं और बच्चों के कल्याण और विकास के क्षेत्र में संगठन को कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए।

ग) इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए संगठन के पास पेशेवर योग्य कर्मचारी होने चाहिए। संगठन में सुविधाएं, संसाधन, कार्मिक और इस प्रकार की परियोजना का प्रबंधन हेतु अनुभव होना चाहिए।

घ) अनुदान प्राप्ति में देरी होने पर संगठन कुछ महीनों तक व्यय की पूर्ति का प्रबंध करने में सक्षम होना चाहिए। उसे स्वधार-गृह 'ना लाभ न हानि' के आधार पर चलाना चाहिए।

ङ) संगठन को 'ईओआई' प्रस्तुत करने की तिथि पर किसी भी सरकार, अर्ध-सरकारी या स्थानीय सरकार द्वारा सूचीबद्ध या प्रतिबंधित घोषित न किया गया हो।

च) ईओआई प्रस्तुत करने की तारीख को संगठन का सरकार के साथ किसी कानूनी विवाद में ग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी सरकार या आपराधिक प्रक्रिया के तहत न्यायिक निकाय द्वारा संगठन को किसी प्रकार की सजा न सुनाई गई हो ।

6. अन्य शर्तें और निबंधन

क) स्वाधार गृह का केंद्र सरकार, राज्य सरकार/जिला प्राधिकरण, सीएजी और राज्य एजी से अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा ।

ख) स्वाधार गृह के लिए प्राप्त निधि का एक अलग खाता रखा जाएगा।

ग) कार्यान्वयन एजेंसी के खातों का वार्षिक मूल्यांकन एक योग्य चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा।

घ) जब भी अपेक्षित हो, कार्यान्वयन एजेंसी के खातों का सीएंडएजी और मंत्रालय दोनों द्वारा निरीक्षण/लेखा परीक्षण किया जा सकेगा, ।

ङ) कार्यान्वयन एजेंसी/संगठन के सदस्यों के नाम या पहचान का विज्ञापन या प्रदर्शित करने के लिए या स्वाधार गृह और उसकी सेवाओं या उसके किसी भी हिस्से को किसी भी तरह से ब्रांडेड नहीं किया जाएगा ।

7. बयाना-जमा राशि (ईएमडी)

आवेदक द्वारा ईओआई के साथ किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से डिमांड-ड्राफ्ट के रूप में **ईएमडी राशि 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) वेतन और लेखा अधिकारी, महिला और बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली** के पक्ष में जमा करानी होगी । डिमांड ड्राफ्ट 6 महीने की अवधि के लिए वैध होगा। अपेक्षित ईएमडी के बिना ईओआई गैर-उत्तरदायी और अस्वीकार कर दिया जाएगा। केन्द्रीय/राज्य स्वायत्त निकायों को, बयाना-जमा राशि(ईएमडी) जमा कराने से छूट दी जाती है।

8. ईओआई प्रस्तुत करना

आवेदक, अपनी 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' स्पष्ट रुप से निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत करें: -

भाग 1 - ईओआई प्रस्तुत करने का पत्र (प्रारूप 'ए' के अनुसार),

भाग 2 - आवेदक का संक्षिप्त प्रोफाइल,

भाग 3- आवेदक का विवरण (प्रारूप 'बी' के अनुसार),

उपर्युक्त अनुसार तैयार किया गया ईओआई, लिफाफे में निम्नलिखित उल्लेख के साथ, एक मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा: -

'सनराख बंगर ', वृंदावन, उत्तर प्रदेश में स्वाधार गृह के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)"।

अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जमा करने की अंतिम तिथि, प्रकाशन की तारीख से 45 दिन (पैंतालीस दिन) है। मुहरबंद ईओआई पंजीकृत डाक/कूरियर या वैयक्तिक तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है:

उप सचिव (स्वाधार),
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार,
कमरा सं 645, 6वीं मंजिल, शास्त्री भवन,
डॉ. आर. पी. रोड, नई दिल्ली -110001
टेलीफोन: 011-23388442
ई-मेल: shiv.meena62@nic.in

ईओआई प्रस्तुत करने के संबंध में हुई किसी भी देरी के लिए मंत्रालय उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रारूप 'ए'

ईओआई प्रस्तुत करने के लिए पत्र

तारीख :

जगह :

सेवा में,

सचिव,
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
भारत सरकार,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली -110001

विषय: 1000 कैदियों की क्षमता के ऑपरेशन, प्रबंधन और रखरखाव, सनराख बगर, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में स्वधर गृह।

प्रिय महोदय / महोदया,

हम इस परियोजना में काम करने के लिए हमारी रुचि व्यक्त करते हैं और हम इसके द्वारा निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

1) ईओआई आवेदन ईओआई दस्तावेज में निर्धारित आवश्यकता के अनुसार सनराख बांगड़, वृंदावन, उत्तर प्रदेश में 1000 कैदियों की क्षमता स्वाधर गृह के ऑपरेशन, प्रबंधन और रखरखाव के लिए _____ (आवेदक / कार्यान्वयन एजेंसी का नाम) द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2) हमने ईओआई दस्तावेज को पढ़, जांच कर लिया है और समझ लिया है और उसमें निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं। हमारा आवेदन ईओआई दस्तावेज़ में बताई गई सभी आवश्यकताओं के अनुरूप है।

3) आवेदन में प्रस्तुत की गई जानकारी पूरी है और कड़ाई से ईओआई दस्तावेज में निर्धारित आवश्यकताओं के मुताबिक और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और समझ से सही है। हमारे ईओआई आवेदन में किसी भी त्रुटि या चूक या गलत व्याख्या के लिए हम पूरी तरह उत्तरदायी होंगे।

नाम और सील के साथ हस्ताक्षर

जगह:

तारीख:

प्रारूप 'बी'

आवेदक का विवरण

ए) कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में जानकारी:

क्र.सं. मद

क्र.सं.	मद	
1	नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी	
2	संपर्क व्यक्ति	
3	शासी निकाय के गठन रचना का विवरण।	
4	कार्यान्वयन एजेंसी का चार्ट	
5	शाखा कार्यालयों का नाम, पता, फोन नंबर, ईमेल आईडी	
6	कानूनी स्थिति (क्या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 / ट्रस्ट अधिनियम / विदेशी अंश नियामक अधिनियम / किसी अन्य के तहत पंजीकृत)	
7	पैन / टैन / टिन	

ख) पूरे संगठन के साथ उपलब्ध बुनियादी ढांचा:

क्र.सं.	मद	
1	मानव संसाधन (पेशेवर, कुशल, अर्द्ध कुशल, अकुशल)	
2	कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट सुविधा, परिवहन सुविधा के पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ कार्यालय भवन	
3	डाटा संग्रहण सुविधा (मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक)	
4	महिलाओं के लिए स्वाधार गृह के कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए उपलब्ध मानव संसाधन	
5	मानव शक्ति, उपकरण, आवधिकता आदि सहित उपयोग की जाने वाली निगरानी प्रणाली	
6	स्थानीय सरकार, पुलिस, अदालत, अस्पताल आदि के साथ काम करना	
7	सरकार के अलावा अन्य संसाधन जो कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सृजित और उपयोग किए जा सकते हैं	
8	कोई अन्य	

ग) अनुभव:

क्र.सं.	परियोजनाएं	
1	भारत सरकार से प्राप्त परियोजना जिसमें परियोजना, उसका, कार्यकाल, वित्तीय राशि, प्रत्येक परियोजना के तहत लाभार्थियों की संख्या का उल्लेख हो	
2	महिला कल्याण के क्षेत्र में अनुभव के वर्ष	
3	संस्थागत सेवा प्रदायगी परियोजना चलाने के अनुभव के वर्ष	
4	विधवा बुजुर्ग, परामर्श, पुनर्वास के क्षेत्रों में अनुभव	
5	सर्वेक्षण में अनुभव	
6	आपातकालीन स्थितियों को संभालने में अनुभव	
7	वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जिला मथुरा में लागू होने वाली कोई भी परियोजना	

घ) वित्तीय संरचना:

क्र.सं.	मद	
1	वर्ष 2015-16 तक तीन वर्षों के लेखापरीक्षित लेखे	
2	पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक बजट	
3	संसाधन निर्माण और संसाधन उपयोग विशेष रूप से वित्तीय संसाधन में अनुभव	
4	अपरिहार्य परिस्थितियों में भारत सरकार द्वारा अनुदान निर्मुक्त करने में हुए विलम्ब के मामले में कार्यक्रम को चलाने के लिए उपलब्ध तंत्र	

ई) जमा किए जाने वाले दस्तावेज:

क्र.सं.	दस्तावेज	
1	पिछले तीन सालों की वार्षिक रिपोर्ट	
2	पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित रिपोर्टें	
3	कानूनी स्थिति से संबंधित दस्तावेज	
4	पैन / टैन / टीआईएन की प्रतिलिपि	
5	ब्लैकलिस्टिंग के बारे में घोषणा	
6	पावर प्वाइंट प्रस्तुति (पीपीटी) के रूप में स्वाधर गृह के कार्यान्वयन पर 6 संकल्पना पत्र (स्लाइडें 10 से अधिक न हों)	
7	पावर प्वाइंट प्रस्तुति के रूप में एजेंसी की उपलब्धि (स्लाइडें 5 से अधिक न हो)	
8	कार्यक्रम की योजना के अनुसार प्रस्तावित बजट	
9	अग्रिम राशि का डिमांड ड्राफ्ट	
10	अन्य कोई	